जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 03.11.22

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा शातिर शार्प शूटर / कोन्ट्रेक्ट किलर थाना सिहानीगेट क्षेत्र से कार विक्रेता व्यापारी राजा ओबराय की हत्या की सुपारी लेने के अभियोग में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र त्यागी को एक जरब 9 MM स्वाचलित पिस्टल मय 05 कारतूस एवं ली गयी सुपारी के बचे हुए 58,000/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल के दिशा निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमित आलोक दूबे के कुशल राजू पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 02.11.2022 को थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा चैिकंग के दौरान सिहानीगेट क्षेत्र से कार विक्रेता व्यापारी राजा ओबराय की हत्या की सुपारी लेने के अभियोग 612/22 धारा 386/323/506/387/120बी भादिव व 27 आर्म्स एक्ट में वांछित/फरार चल रहे शातिर शार्प शूटर/ कोन्ट्रेक्ट किलर अभि0 जितेन्द्र त्यागी पुत्र रामनिवास त्यागी निवासी ग्राम सद्दीक नगर थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद को आपूलेन्ट माल के सामने जीटी रोड गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया पूछताछ पर अभियुक्त ने वादी श्री राजा ओबराय की हत्या करने के लिये सम्पूर्णान्द / काले अनेजा से 05 लाख रूपये की सुपारी तय करना 01 लाख रूपये एडवांस में लेना शेष रूपये हत्या करने के बाद लेने की बात स्वीकार की है अभियुक्त ने अपनी निशादेही पर अपने घर से वादी की हत्या करने हेतु रखा गया एक जरब स्वचालित देशी 9 MM पिस्टल एवं 05 कारतूस तथा सुपारी के लिये गये 01 लाख रूपये में से 58,000/- रूपये बरामद करवाये है । अभियुक्त एक शातिर / शार्प शूटर / कोन्ट्रेक्ट सुपारी किलर है जिसके खिलाफ पूर्व में हत्या सहित निम्नांकित अभियोग पंजीकृत है । ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जितेन्द्र त्यागी पुत्र रामनिवास त्यागी निवासी ग्राम सद्दीक नगर थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. श्री नरेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद
- 2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
- 3. उ0नि0 श्री मौहम्मद अकरम खान
- 4. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार
- 5. उ0नि0 श्री सुशील कुमार तौमर

बरामदगी-

- 1.एक जरब 9 MM स्वचालित देशी पिस्टल
- 2. 05 कारतूस
- 3. केश 58,000/ रूपये

आपराधिक इतिहास- अभि0 जितेन्द्र त्यागी

- 1.मु0अ0सं0 612/2022 धारा 386/323/506/387/120बी भादवि व 27 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट गा0बाद
- 2.मु0अ0सं0 1543/2020 धारा 147/354/365/452/506/511 भादवि 3(2)VA SC/ST ACT थाना कविनगर
- 3.मु०अ०सं० 0170/2017 धारा 143/188 भादवि थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद
- 4.मु0अ0सं0 60/2017 धारा 147/148/149/307/323/504/506 थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद
- 5.मु0अ0सं0 0095/2015 धारा 307 भादवि
- 6. मु0अ0सं0 1600/2020 धारा 302/120B थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद
- 7. मु0अ0सं0 1698/2017 धारा 29/3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 खोखा कारतूस नाजायज बरामद होना

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी महोदय लोनी के उचित निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक 03.11.22 समय रात्री 04.00 बजे दौराने चैकिंग रंजीत गेट पर से लगभग 50 कदम दूर पावी सादकपुर गाँव की ओर 01 नफर अभियुक्त गुड्डू पुत्र सुनील निवासी शिव विहार पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज मय 01 खोखा कारतूस नाजायज बरामद हुआ।

<u>नाम पता अभियुक्तः-</u>

गुड्डू पुत्र सुनील निवासी शिव विहार पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 618/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

अपराध करने का तरीकाः -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै अवैध रुप से नाजायज शस्त्र लेकर दुरुपयोग करता है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 सन्दीप कुमार का0 980 शशिकान्त का0 2879 ओमसिंह

बरामदी का विवरणः-

एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज मय 01 खोखा कारतूस नाजायज बरामद

थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर लोगो से धोखाधडी कर पैसे हडपने वाले 02 शातिर अभियुक्तगणो को किया गिरफ्तार,कब्जे से लोगो से धोखाधडी कर हडपे गये 1,77,000/-रुपये नकद,विभिन्न बैको के 58 एटीएम कार्ड,एक एटीएम कार्ड स्वैप कर पैसे निकालने वाली स्वैप मशीन व घटना करने में प्रयुक्त स्कूटी बरामद,थाना इंदिरापुरम पर पंजीकृत तीन अभियोगो का हुआ सफल अनावरण।

विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी. महोदय द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्द प्रभावी कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा हैं। अभियान के क्रम में विरष्ठ पुलिस अधीक्षक,द्वारा दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक,नगर दिवतीय/ट्रांस हिंडन व क्षेत्राधिकरी इंदिरापुरम के निर्देशन/पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम श्री देवपाल सिंह पुण्डीर की एक टीम गठित की गई थी।

प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम श्री देवपाल सिंह पुण्डीर मय टीम द्वारा दिनांक 03.11.22 को चैकिंग की जा रही थी,चैकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर विडंसर मार्केट के पास से एटीएम कार्ड बदलकर लोगो से धोखाधडी कर पैसे हडपने वाले 02 अभियुक्त 1 सोनू कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी सी 24 शिवपार्क खानपुर नई दिल्ली 62 मूल पता कयाल थाना जहांनाबाद जिला जहांनाबाद,बिहार 2 गगन कुमार पुत्र स्व0 निर्मल सिह निवासी बी 17 बोपरोला बिहार नगली डेरी थाना नजफगढ दिल्ली को गिरफ्तार किया गया हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू कुमार उपरोक्त के कब्जे से विभिन्न बैको के कुल 31 एटीएम कार्ड व 82,000/-रुपये व गिरफ्तार अभियुक्त गगन कुमार उपरोक्त के कब्जे से विभिन्न बैको के कुल 27 एटीएम कार्ड व 95,000/-रुपये बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से लोगो से एटीएम कार्ड स्वैप कर धोखाधडी कर हडपे गये कुल 1,77,000/-रुपये नकद,58 एटीएम कार्ड, एक पैसे निकालने वाली स्वैप मशीन व घटना करने में प्रयुक्त स्कूटी KA03JR0748 बरामद हुई है। बरामदशुदा स्कूटी को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है।

अभियुक्त से माल बरामदगी/इनके द्वारा की गई घटनाओं के सम्बन्ध में थाना इंदिरापुरम पर मु0अ0स0 281/22 धारा 420/379/411 भादिव, मु0अ0स0 1397/22 धारा 420/379/411 भादिव एवं मु0अ0स0 1440/22 धारा 420/379/411 भादिव पंजीकृत है जिनका सफलतापूर्वक अनावरण किया गया हैं।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण- अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया की हम दोनो बैंको के एटीएम के आस पास रहते है, जैसे ही कोई महिला या बुजुर्ग व्यक्ति या कोई नया लडका एटीएम में पैसा निकालने के लिए अन्दर जाते है हम चुपके से उनका पिनकोड देख लेते है और पैसे निकालने में मद्द करने के बहाने धोखे से उनका एटीएम कार्ड बदल देते है व स्वेप मशीन के द्वारा एटीएम कार्ड स्वेप कर सारा पैसा निकाल लेते है। पूर्व से बदले गये एटीएम कार्ड को अन्य नये व्यक्तियों से बदलकर पुन इसी तरह की घटना को अन्जाम देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता

- 1 सोनू कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी सी 24 शिवपार्क खानपुर नई दिल्ली 62 मूल पता कयाल थाना जहांनाबाद जिला जहांनाबाद,बिहार
- 2 गगन कुमार पुत्र स्व0 निर्मल सिंह निवासी बी 17 बोपरोला बिहार नगली डेरी थाना नजफगढ दिल्ली

बरामदगी का विवरण-

- 1 लोगो से धोखाधडी कर हडपे गये कुल 1,77,000/-रुपये नकद
- 2 कुल 58 एटीएम कार्ड विभिन्न बैको के
- 3 एटीएम कार्ड स्वैप करने वाली मशीन
- 4 घटना करने में प्रयुक्त स्कूटी KA03JR0748 बरामद

अनावरण किये अभियोगो का विवरण-

- 1 मु0अ0स0 281/22 धारा 420/379/411 भादवि थाना इंदिरापुरम
- 2 मु०अ०स० 1397/22 धारा 420/379/411 भादवि थाना इंदिरापुरम
- 3 मु0अ0स0 1440/22 धारा 420/379/411 भादवि थाना इंदिरापुरम

गिरफ्तार करने वाली टीम

1प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम श्री देवपाल सिह पुण्डीर

- 2 उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार थाना इंदिरापुरम
- 3 उ०नि० श्री ध्रुवनारायण थाना इंदिरापुरम
- 4 म0उ0नि0 मन्जू सिंह थाना इंदिरापुरम
- 5 है0का01371अमित थाना इंदिरापुरम
- 6 है0का01347अशोक कुमार थाना इंदिरापुरम
- 7 है0का01375 संजय सिंह थाना इंदिरापुरम

<mark>थाना कविनगर पुलिस द्वारा फर्जी इंस्पैक्टर बनकर ठगी करने वाले एक अभियुक्त अमित यादव</mark> उर्फ जोगेन्द्र यादव को महिला साथी के साथ किया गिरफ्तार

- अभियुक्त द्वारा इंस्पैक्टर की वर्दी पहनकर लोगों से करता था उगी का काम।
- रुपये न देने पर देता था जेल भेजने की धमकी।
- अभियुक्त के कब्जे से वर्दी वाला ड्राईविंग लाईसेंस व पुलिस इंस्पैक्टर का फर्जी आईडी कार्ड, पुलिस की वर्दी मे फोटो व अन्य सामान बरामदा

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम व क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अमित यादव पुत्र राजवीर सिंह निवासी धौसाई थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को फर्जी इंस्पैक्टर की वर्दी पहने तथा उसकी सहयोगी महिला राजकुमार पत्नी करन सिंह निवासी 220 आकाश नगर थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को आत्माराम स्टील चौराहा औद्योगिक क्षेत्र थाना कविनगर से दिनांक 03.11.2022 को गिरफ्तार किया गया। वादी श्री नीरज कुमार पुत्र श्री मनवीर सिंह निवासी मीरापुर गढी ब्लाक धौलाना जनपद हापुड से दिल्ली पुलिस मे नौकरी लगवाने का झांसा देकर 7 लाख रुपये व वादी श्री फूल सिंह पुत्र श्री फूल चन्द निवासी शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद के पुत्र की होमगार्ड विभाग मे सरकारी नौकरी लगवान के नाम पर 2.5 लाख रुपये ठगे गये जिनके सम्बन्धित मे थाना हाजा पर अभियोग पूर्व में पंजीकृत किये जा चुके है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद फर्जी वर्दी व अन्य दस्तावेजो के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 1514/22 धारा 170/171/420/467/468/471 भादिव पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस द्वारा पूछताछ तथा जाँच के आधार पर अभियुक्त का जीवन परिचयः-

पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म का ठग है जो विगत 16 वर्षों से इस प्रकार का कार्य कर रहा है अभियुक्त द्वारा वर्ष 2006-07 में पहली शादी की गयी इस दौरान अभियुक्त द्वारा अपने ससुराल पक्ष को पुलिस आरक्षी बताया गया था। जिस कारण अभियुक्त की वर्ष 2010 में शादी टूट गयी थी तथा अभियुक्त कोतवाली सिटी जनपद मैनपुरी से जेल भी गया था।

जेल से रिहा होने के उपरान्त अभियुक्त एक अन्य महिला के सम्पर्क के आया जिसे उसने स्वयं को वर्ष 2005 का आश्रित (अपने पिता के स्थान पर नौकरी) उ0प्र0पु0 उपनिरीक्षक बताया था। अभियुक्त द्वारा अपनी पहली पत्नी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी थी, इसी दौरान अभियुक्त ने वर्ष 2013-14 में दूसरी शादी कर ली गयी थी। जबकी पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के पिता अभी जिन्दा है तथा अभियुक्त की पहली पत्नी भी जीवित है तथा अभिक्त को वास्तविक नाम जोगेन्द्र सिंह है जो वर्ष 2012 में बदलकर अमित कर लिया गया था।

अभियुक्त द्वारा अपनी दूसरी पत्नी को वर्ष 2015 में बताया कि उसका चयन एसडीएम पद पर हुआ है तथा जनपद मुरादाबाद में प्रथम तैनाती मिली है इसी दौरान वर्ष 2016 में अभियुक्त का चयन आईपीएस अधिकारी के पद पर होना बताया गया तथा वर्ष 2017 में अभियुक्त हैदराबाद प्रशिक्षण के लिये जाने को बताकर विभिन्न स्थानों पर स्वयं को आईपीएस अधिकारी बताकर ठगी करता रहा।

अपराध करने का तरीकाः-

अभियुक्त आदतन ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो लोगों को अपने पद का रौब दिखाकर ठगी करता है तथा अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त द्वारा नौकरी दिलाने व पुलिस विभाग व अन्य विभागों में काम कराने के बहाने 50-60 लाख रुपये की ठगी कर चुका है। अभियुक्त उपरोक्त प्रकरणों में पूर्व मे जेल भी जा चुका है तथा वर्तमान में होमगार्ड विभाग व दिल्ली पुलिस मे नौकरी दिलवाने के नाम पर अभियुक्त द्वारा फर्जी इंस्पैक्टर बनकर 9.5 लाख रुपये की ठगी की गयी है जिनके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर पूव मे दो मुकदमें पंजीकृत कराये जा चुके है। जिसकी अन्य विभागों से भी जानकारी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

- 1. अमित यादव उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी धौसाई थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।
- 2. अभियुक्ता राजकुमारी पत्नी करन सिंह निवासी 220 आकाश नगर थाना मसूरी गाजियाबाद।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

- 1. मु०अ०सं० १५१४/२२ धारा १७०/१७१/४२०/४६७/४६४/४१ भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2. मु०अ०सं० १५०९/२२ धारा ४२०/४०६/५०४/५०६ भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3. मु0अ0सं0 1510/22 धारा 420/406/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 4. मु0अ0सं0 2222/10 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली सिटी जनपद मैनपुरी।
- 5. मु0अ0सं0 452/18 धारा 170/171/420/467/468/471 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद इटावा।

बरामदगी का विवरणः-

1. सम्पूर्ण वर्दी उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पैक्टर रैंक।

- 2. एक गाडी अर्टिगा नं0 UP75AB2767.
- 3. एक अदद मो०सा० पल्सर बिना नम्बर प्लेट।
- 4. एक ड्राईविंग लाईसेंस वर्दी के फोटो वाला।
- 5. एक आधार कार्ड।
- 6. दो मार्कशीट।
- 7. एक जाति प्रमाण पत्र।
- एक निवास प्रमाण पत्र।
- 9. एक चरित्र प्रमाण पत्र।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2. उ0नि0 श्री अन्नु कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3. उ0नि0 जयवर्धन सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 4. है0का0 467 अरविन्द कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 5. का० ४४ उदवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 6. का० २१३१ तेज कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 7. का० 1381 मुकेश कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
- म0का0 230 रूबी राठी थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना कविनगर पुलिस द्वारा चोरी के वांछित अभियुक्त को मय चोरी के सामान व चोरी के सामान को बेच कर मिल 5000/- रुपये के गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान विरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 03.11.2022 को समय 13.30 बजे चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 1486/22 धारा 381/411/34/120बी भादिव के वांछित कुन्दन कुमार पुत्र किरानी राम निवासी ग्राम इकरामा थाना चेवाडा जिला शेखपुरा बिहार को शाहपुर बम्हैटा गेट के पास थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित चोरी के दो रिम लोहे के व चोरी के सामान को बेचकर मिले रुपयों में से 5000/- रुपये नगद बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -</u>

1) कुन्दन कुमार पुत्र किरानी राम निवासी ग्राम इकरामा थाना चेवाडा जिला शेखपुरा बिहार उम्र 30 वर्ष **बरामदगी का विवरण** -

- 1. दो रिम लोहे के।
- 2. 5000/- रुपये नगद (चोरी के सामान को बेचकर मिले पैसे)

अभियुक्त का आपराधित इतिहास-

1- मु0अ0सं0 1486/2022 धारा 381/411/34/120बी भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 सुनील कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
 है0का0 596 रविन्द्र थाना कविनगर गाजियाबाद।